न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानीः— गुलफत पत्नि शब्बीर जाति गद्दी मुसलमान निवासी रसूलपुरा तहसील मलारना डूँगर

बनाम

सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बौंली जरिये सचिव भूमि विकास बैंक सवाईमाधोपुर

किस्म प्रकरण— रिव्यू प्रार्थना पत्र | **प्रकरण संख्याः—32/2022**

जीसीएमएस संख्याः— 2022/219

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न./ता.अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
22.10.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। रिव्यू प्रार्थना पत्र पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा कथन किया कि प्रार्थी के विरूद्व सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर जरिये सचिव भूमि विकास बैंक के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 103 व 99 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001 के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थी की बैंक के रहनशुदा खातेदारी भूमि को संबंधित बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत पेश किया गया था जो प्रकरण संख्या 29/2017 पर दर्ज किया जाकर न्यायालय द्वारा दिनांक 28.3.2017 को नोटिस जारी कर दिनांक 5.4.2017 को मुझ प्रार्थी की तामील होना मानकर अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 26.4.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 31.7.2019 को एक पक्षीय आदेश पारित कर दिये है। उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही की मुझ प्रार्थी को कोई जानकारी नही थी ना ही प्रार्थी को कोई नोटिस प्राप्त हुऐ ओर ना ही प्रार्थी द्वारा नोटिस लेने से इन्कार किया है। तामील कुन्निदा की गलत तामील रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के विरूद्व आदेश पारित किया है, नोटिस पर प्रार्थी का अंगूठा निशानी नही है क्योकि दिनांक 5.4.2017 को प्रार्थी गांव मे मोजूद ही नही था तो नोटिस कैसे ले सकता है। प्रार्थी द्वारा वाके ग्राम रसूलपुरा की अपनी खातेदारी आराजी ख0न0 6,7,8,9/2086 कुल किता 4 कुल रकबा 1.26 है0 को बैंक के रहन रखकर 98,967/— रूपये असल ऋण प्राप्त किया था जिसको मय ब्याज के अदा करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 29/2017 सहकारी भूमि विकास बैंक बनाम हबूब मे पारित निर्णय दिनांक 31.7.2019 पर पुनः विचार किये जाने बाबत निवेदन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी की सुनवायी हेतु जारी नोटिस की गवाह के समक्ष विधिवत व्यक्तिशः तामील करवायी जाने पर प्रार्थीया का पति शब्बीर के जरिये एक प्रार्थना पत्र पेश कर बैंक की बकाया राशि 15 दिवस मे जमा करवाने बाबत समय चाहा गया था किन्तु इसके बाद प्रार्थी न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही के बाद भी कई अवसर दिये जाकर विधिवत निर्णय पारित किया गया तथा निर्णय के 3 वर्ष बाद रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई औचित्य नही है यदि प्रार्थी को इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.7.2019 से नाराजगी है तो सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वंतत्र है। अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया। वकील उभय पक्षो को सुनने के पश्चात संबंधित दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि प्रकरण का अन्तिम निर्णय दिनांक 31.7.2019 को हो चुका है एवं ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अकारण ही विलम्ब करने की रणनीति के तौर पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की विधिवत तामील करवायी गयी है उक्त तामील को न्यायालय द्वारा पूर्व मे अपने निर्णय दिनांक 31.7.2019 मे सही माना जा चुका है। प्रकरण संख्या 29/2017 की पत्रावली मे भी प्रार्थी को सुनवायी हेतु कई अवसर दिये जाने की पुष्टि हो जाती है एवं वकील प्रार्थी द्वारा भी यह [illegible] है कि ऋण की राशि चुकाने के लिए उन्हे कई अवसर दिये गऐ थे। ऐसी [illegible] में [illegible] प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया [illegible] है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अ[illegible] की जावे। आदेश सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 17:57:14 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner